<u>राष्ट्रपतीय निर्वाचन-2017</u>
<u>विशेष संवाहक द्वारा/</u>
<u>कैम्प बैग द्वारास्पीड पोस्ट/ द्वारा</u>

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

संख्या 481/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या./पी.ई.-द्विवार्षिक/2017

तारीखः 8 जून, 2017

सेवा में

राष्ट्रपतीय निर्वाचन के
लिए रिटर्निंग आफिसर एवं
महासचिव, लोक सभा,
लोक सभा सचिवालय,
संसद भवन, नई दिल्ली

विषय:- राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017-सार्वजनिक सूचना के बारे मे निदेश।

महोदय,

मुझे राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 3 के अधीन जारी आयोग के निदेश दिनांक 8 जून, 2017 की एक प्रति आपकी सूचना और आवश्यक कारवाई के लिए इसके साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

2. राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के साथ संलग्न फॉर्म 1 में सार्वजनिक सूचना, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 4 के अधीन, आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने की तारीख अर्थात् 14 जून, 2017 को प्रकाशित और प्रचारित की जाएगी।

3. कृपया पावती दें।

भवदीय,

(वरिन्दर कुमार)
प्रधान सचिव

सं. 481/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या./पी.ई.-द्विवार्षिक/2017

तारीखः 8 जून, 2017

पूर्व पृष्ठ पर संदर्भित निदेश की प्रति के साथ प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित:

1. राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर (मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से)
2. सचिव, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
4. सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

(वरिन्दर कुमार)
प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

संख्या 481/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या./पी.ई.-द्विवार्षिक/2017

तारीखः 8 जून, 2017

निदेश

विषयः- **राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 - आशयित निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना- राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 3 के अधीन प्रकाशन।**

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 3 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग रिटर्निंग आफिसर और सहायक रिटर्निंग आफिसरों को एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि उन नियमों से संलग्न फॉर्म 1 में ऊपर उल्लिखित निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना:-

(क) भारत के राजपत्र में हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित की जाएगी;

(ख) वह प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के शासकीय राजपत्र में उस भाषा या उन भाषाओं में पुनःप्रकाशित की जाएगी जिसमें राज्य सरकार/प्रशासन द्वारा जारी सांविधिक अधिसूचनाएं ऐसे राजपत्रों में प्रकाशित की जाती हैं; और

(ग) रेडियो और दूरदर्शन से प्रचार किया जाएगा, नई दिल्ली में, राज्य की राजधानियों में और दूसरे स्थानों में (यदि कोई है) स्थित आकाशवाणी के केन्द्रों/दूरदर्शन केन्द्रों से और जन संचार के अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट माध्यमों के जरिए पूरे देश में घोषणाएं की जाएंगी।

2. यह सार्वजनिक सूचना, इसकी एक प्रति रिटर्निंग आफिसर और प्रत्येक सहायक रिटर्निंग आफिसरों के कार्यालयों में किसी/किन्हीं सहज-दृश्य स्थान/स्थानों पर चिपका कर भी प्रचारित की जाए।

आदेश से,

(वरिन्दर कुमार)
प्रधान सचिव